कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी

:: विविध–आदेश ::

क्रमांक– 41 /एक–9–1/90 (भाग–1) सीधी, दिनांक : 22/04/2022

माननीय रजिस्ट्री, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का पृ.क्र. ए/1892/(NDPS) जबलपुर दिनांक 20.04.2022 के साथ संलग्न अधिसूचना क्रमांक ए/1891/(NDPS) तीन–06–03/89 जबलपुर दिनांक 20.04.2022 के फलस्वरूप, मैं अमिताभ मिश्र, सत्र न्यायाधीश, सीधी, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 10 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, वर्ष 2022 के लिए जारी कार्य विभाजन पत्रक का विविधि आदेश क्रमांक 02 दिनांक 06.01.2022 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेतु अंकित कंडिका–2 के बाद कंडिका–2ए प्रतिस्थापित करता हूँ, जो तत्काल प्रभावशील होगा :–

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार
1	2	3	4
1	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश	सत्र खण्ड सीधी	2ए. सत्र खण्ड सीधी के अंतर्गत उत्पन्न स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से सुनवाई योग्य प्रकरण एवं उक्त से उदभूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व संबंधित अन्य कार्यवाहियां।

टीप :– उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त सत्र खण्ड सीधी के लिये पूर्व में जारी विविध–आदेश क्रमांक 02 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार आदेश–निर्देश/चार्ज प्रभार यथावत रहेंगे।

(अमिताभ मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी, म.प्र.

पृ. क्रमांक 1168/एक–9–1/90 (भाग–2) सीधी, दिनांक 23/04/2022

प्रतिलिपिः–

1. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज़) सीधी,
2. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीधी,
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी,
4. अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय, रामपुरनैकिन,
5. रीडर, सत्र न्यायाधीश सीधी,

.... की ओर सत्र खण्ड सीधी का विभाजन आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

6. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग सीधी की ओर इस न्यायिक स्थापना के वेवसाइट/समस्त संबंधितों की ईमेल आई.डी. पर अपलोड कराए जाने हेतु प्रेषित।
7. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सीधी/चुरहट/मझौली/रामपुरनैकिन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी, म.प्र.